an>

Title: Discussion regarding Flood and Drought Situation in the country.

HON. CHAIRPERSON: Now, Item No. 15. Shri Yogi Adityanath to raise a discussion on the flood and drought situation in the country.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे देश के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की शुरुआत करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। देश में बाढ़ और सूखे की जो स्थिति है, कमोवेश हम हर वर्ष इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे, इस अनुरोध के साथ मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। जल जीवन का आधार है। देश में प्रतिवर्ष बाढ़, भूकंप, सूखे या सुनामी तमाम प्राकृतिक आपदाओं से जन, धन की हानि होती है। बाढ़ कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं है जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। पूर्वानुमान लगाकर बार-बार बाढ़ नियंत्रण पर खर्च होने वाले पैसे को एक बार व्यवस्थित रूप से खर्च कर दिया जाए तो बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। इसके लिए आवश्यक होगा कि हमें बाढ़ नियंत्रण के बजाय जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था करने की दिशा मे प्रभावी प्रयास करना चाहिए।

17.00 hrs.

माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने अभी दो माह पूरे किये हैं और सरकार के आते ही मानसून कम होने का दबाव इस सरकार पर पड़ा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार ने इस आवश्यकता को महसूस किया और इस देश में शुरू में ही पांच सौ सूखा प्रभावित जनपदों के लिए क्या प्रभावी योजनाएं बन सकती हैं, अपनी कार्रवाई उस संबंध में प्रारम्भ की है और इस संबंध में कई बैठकें भी सरकार के स्तर पर हुई हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं, जिन पर चर्चा किये जाने की आवश्यकता है और वे यह हैं कि देश के अंदर एक ही समय में कुछ भूभाग ऐसे होते हैं, जहां बाढ़ की विभीषिका से व्यापक स्तर पर जन-धन की हानि होती है, खड़ी फसलें नष्ट होती हैं, लोगों के मकान बह जाते हैं, पशुधन की हानि होती है और कुल मिलाकर व्यापक स्तर पर जन-धन की हानि होती है। जब बाढ़ समाप्त हो जाती है तो बाढ़ समाप्त होने के बाद आने वाली तमाम प्रकार की उन संक्रामक बीमारियों को छोड़ जाती हैं, जिससे भी बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं। लेकिन इनके लिए देश के अंदर हम व्यवस्था तब करते हैं, जब कोई विभीषिका आ जाती है।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : योगी जी, आप जरा तेजी से बोलिये।

योगी आदित्यनाथ : पहले से नहीं करते हैं। इसलिए जो वर्तमान में स्थिति है, मुझे लगता है कि प्रो. सौगत राय जी अभी चाय-कॉफी पीकर आये हैं, इसलिए लगता है कि अभी गर्मी है। लेकिन हम लोगों ने बजट पास किया है और बजट पास करने में हम लोगों ने कुछ इनर्जी दिल्ली को दी है। सौगत राय जी हम लोग वहीं पर आ रहे हैं। ...(व्यवधान) महोदय, आखिर क्या कारण है कि प्रति वर्ष बाढ़ नियंत्रण के लिए अरबों रुपये खर्च होते हैं। लेकिन जब हम 1950 और 2014 की तुलना करते हैं तो देखते हैं कि बाढ़ का दायरा भी बढ़ता गया। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं न कहीं कोई खामी जरूर होगी क्योंकि प्रति वर्ष हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद बाढ़ का प्रकोप और उससे होने वाली जो क्षति है, उसका दायरा बढ़ा है। 1951 में देश का बाढ़ग्रस्त भूभाग एक करोड़ हैक्टेअर था। 1960 में यह बढ़कर 2.5 करोड़ हैक्टेअर हो गया। 1978 में इसका दायरा 3.4 करोड़ हैक्टेअर हो गया, 1980 में चार करोड़ हैक्टेअर और वर्तमान में लगभग सात करोड़ हैक्टेअर भूभाग ऐसा है, जो प्रति वर्ष बाढ़ की चपेट में या बाढ़ के बाद भारी जल जमाव की चपेट में आकर वहां की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाता है। यह स्थिति देश में है। यदि हम पूर्वोत्तर के राज्यों में देखें तो असम में और उसके आसपास के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ की विभीषिका से नुकसान होता है।

महोदय, देश में बिहार एक ऐसा राज्य है, देश के अंदर बाढ़ से कुल प्रभावित भूभाग का 16 प्रतिशत भूभाग बिहार का है, जो बाढ़ से प्रभावित होता है और वहां कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, महानंदा आदि नदियां हैं। यदि हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो यहां गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा, सरयू, राप्ती और अन्य नदियां है, इसके अलावा अन्य बहुत सी छोटी नदियों के कारण प्रति वर्ष व्यापक स्तर पर जन-धन की हानि देश के अंदर होती है। कुछ चीजें अवश्य हैं कि क्या एक समय कोई ऐसा प्रबंधन नहीं हो सकता कि देश का एक भूभाग भीषण सूखे की चपेट में है तो उसी समय देश का दूसरा भूभाग बाढ़ से बुरी तरह से जलमग्न होता है, उस क्षेत्र में बाढ़ का तांडव होता है, बाढ़ का प्रकोप होता है। इसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, मुझे लगता है कि सदन में चर्चा के माध्यम से उसका स्थायी समाधान निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए और इस दृष्टि से जब बाढ़ से हम व्यापक जन-धन की हानि की बात देखते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें हम जलवायु परिवर्तन को भी एक कारण मानते हैं। साथ ही साथ मानवजन्य, जो वर्तमान में अवैज्ञानिक विकास की सोच है, यह भी उसका एक कारण है।

महोदय, जो अवैज्ञानिक सोच है, हम लोग देखते हैं कि नदियों में बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध बनाए गए। लेकिन नदियों की बाढ़ से बचाने के लिए तटबंध क्या स्थायी समाधान हो सकता है? आजादी के पूर्व भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि इस समय देश के अंदर बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध स्थायी समाधान निकाल सकता है या नहीं। जिस समिति ने इस पर चर्चा की थी, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी भी उस समिति में थे। उस समिति ने यह पाया था कि तटबंध बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकते हैं। तटबंधों में कुछ कारण तो हैं कि तटबंध कुछ गांवों को, कुछ बस्तियों को बाढ़ से बचाते हैं। लेकिन तटबंधों के अंदर, तटबंध और नदी के बीच में जो बस्तियां आ जाती हैं, उनकी समस्या का कोई समाधान इसमें नहीं है। दूसरा, तटबंधों के निर्माण में जो कार्यदायी संस्थाएं कार्य करती हैं, वे भारी भ्रष्टाचार की चपेट में हैं। बाढ़ कुछ सरकारी विभागों के लिए कमाई का एक साधन बन जाता है। वे व्यापक भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। इन अड्डों के कारण इस देश में प्रति वर्ष बाढ़ आए, वे विभाग इस बात का इंतजार करते हैं। जन-धन की हानि या बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई हो, यह उनकी चिंता का विषय नहीं, बल्कि प्रति वर्ष तटबंध के नाम पर जनता की आवश्यकता है या नहीं है, इसको ध्यान में रख कर नहीं, बल्कि उनकी स्वयं की कमाई का साधन कैसे बन सकें, इस दृष्टि से तटबंधों का निर्माण होता है। मुझे लगता है कि तटबंधों के बारे में यह एक मुख्य कारण इस संबंध में आया है।

तटबंधों की एक समस्या और है। उत्तर भारत में आप देखेंगे तो अधिकतर नदियां हिमालय से आती हैं। हिमालय से आने वाली नदियों में व्यापक स्तर पर नदी के साथ गाद बहता है, मिट्टी बहती है। नदियों का जो सर्फेस है, वह पूरी तरह गाद से भर चुका है तो स्वाभाविक रूप से तटबंधों की ऊंचाई भी हर वर्ष-दो वर्ष में उठाने की बात आती है। क्योंकि जब जल-स्तर बढ़ेगा तो जल स्तर बढ़ने के साथ-साथ नदियों के स्तर बढ़ने के साथ-साथ तटबंधों की ऊंचाई बढ़ाना भी एक समस्या है। फिर तटबंध जहां पर टूटते हैं, वहां पर तो एक व्यापक भीषण विभीषिका होती है। उस गांव या उस बस्ती को पूरी तरह बहा कर के एक भयंकर तांडव वहां पर देखने को मिलता है, जहां पर तटबंध टूटता है। हम लोगों ने अब तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है कि नदियों में भरने वाले या कोई अध्ययन इस प्रकार का नहीं किया कि नदियों में भरने वाली गाद, सन् 1950 में क्या थी और आज सन् 2014 में उसका स्तर कितना है। स्वाभाविक रूप से अगर नदी के तल में सिल्ट भर गया है, गाद भर गई है तो नदी में जल का अभाव भी होगा और साथ-साथ जल का जो स्तर ऊंचा होगा, वह आस-पास की बरसात के समय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा। बाढ़ नियंत्रण के नाम पर जो कार्य तटबंधों के निर्माण, अवैज्ञानिक सोच के माध्यम से हुआ है, यह उसका एक प्रमुख कारण है।

दूसरा, हम लोगों ने तटबंध बनाने के बाद तटबंध और नदी के बीच में जो गांव फंस जाते हैं, एक बड़ी आबादी होती है, वह किसी भी नदी में आप देख सकते हैं, चाहे वह घाघरा और सरयू नदी में हो, चाहे राप्ती नदी में हो, चाहे वह गंडक में हो, चाहे वह कोसी नदी में हो, चाहे वह शारदा नदी का ही देखें या ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को ही देखें, तटबंध और नदी के बीच बहुत सारे गांव बसे हुए हैं, उन गांवों की सुरक्षा के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं है। लाखों की आबादी है। उनको बरसात में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। बरसात में उन लोगों को बाढ़ की विभिषिका के कहर से बचाने के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं हो पाता है। उसके बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता है।

महोदय, जलवायु परिवर्तन भी बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। इस बार मानसून कम हुआ है और कहा जा रहा है कि अलनीनो का प्रभाव है। भारत जैसे देश में, जिस देश में साठ प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है, उस देश में अगर हम देखें तो कृषि इस देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यद्यपि जीडीपी में उसका अनुपात लगातार कम हुआ है और आज वह मात्र 14 प्रतिशत तक रह गया है, लेकिन आज भी दो-तिहाई भारत कृषि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। वह आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोगों की कृषि पर निर्भरता है। आज भी इस देश में सिंचाई के साधन चालीस प्रतिशत भी नहीं हैं, तो बाकी साठ प्रतिशत से अधिक जो लोग हैं, उनको हम केवल मानसून के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। केवल मानूसन के भरोसे उनको छोड़कर हम इस देश की बड़ी आबादी को भुखमरी के कगार पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। खास तौर से आज जो स्थिति है, वर्ष 2005 में इस देश को अन्न उत्पादन करने के लिए, जितने खाद्यान्न की वर्तमान में हमारी आवश्यकता है, वर्तमान में 25 करोड़ टन खाद्यान्न इस देश को एक वर्ष के लिए चाहिए। सन् 2050 में इस देश में खाद्यान्न की जो मांग होगी, वह वर्तमान से लगभग दोगुनी हो जाएगी। इस देश में अगर हम लोग सिंचाई के उचित साधन नहीं देंगे, अन्न उत्पादन की वर्तमान क्षमता को दोगुना नहीं करेंगे, तो कोई कारण नहीं कि पच्चीस करोड़ टन जो खाद्यान्न की आज की हमारी आवश्यकता है, जब यही आवश्यकता पैंतालीस और पचास करोड़ टन तक पहुंचेगी, तब हम इस देश के अंदर उस आवश्यकता की पूर्ति कैसे कर पाएंगे? क्या इस देश की एक बड़ी आबादी को हम भुखमरी के लिए नहीं छोड़ रहे हैं?

मैंने एक बात कही थी कि बाढ़ नियंत्रण के बजाए, हम शब्द जल-प्रबंधन की बात करें, तो मुझे लगता है कि वह महत्वपूर्ण होगा। जल-प्रबंधन से न केवल बाढ़ की समस्या का समाधान होता है, अपितु दूसरी ओर इस देश की सूखे की समस्या के समाधान का रास्ता भी निकलता है। इसलिए जल-प्रबंधन के उचित तरीके अपनाये जाएं। हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जल-प्रबंधन के माध्यम से जहां नदियों के स्वाभाविक फ्लो को, उसके प्राकृतिक बहाव को बनाये रखने, एकदम बड़े बांध जो भीमकाय हों और जिनसे व्यापक क्षति की संभावनायें हों, खास तौर से हिमालय की गोद में इस प्रकार के बांध किसी खतरे से कम नहीं हैं। जहां पर हिमालय एक नया पहाड़ है, व्यापक स्तर पर गाद भरा पानी नदियों के साथ बहकर आ रहा है। आप बड़े बांध बनायेंगे, एक समय तक वे सब के सब भर जायेंगे, उसके बाद फिर क्या स्थिति पैदा होगी? उस क्षेत्र में जल के उस प्रबन्धन की दृष्टि से हम क्या उपाय कर सकते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है और उस पर इसी दृष्टि से चर्चा अवश्य हो। हम जब नदियों में गाद की स्थिति देखते हैं, मुझे केदारनाथ त्रासदी के समय वहां जाने का अवसर मिला था और मैंने वहां की स्थिति को देखा था। उस त्रासदी को एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है, अब तक केदारनाथ घाटी और आसपास का क्षेत्र, उत्तराखंड का वह क्षेत्र उभर नहीं पाया है। तमाम प्रयासों के बावजूद सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। चार धाम की यात्रा दो दिन के लिए प्रारंभ होती है, फिर दस दिन के लिए बन्द हो जाती है। इसका कारण है, हम लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, प्रकृति का दोहन किया है, प्रकृति के साथ जो मनमानापन किया है, प्रकृति के साथ जो अराजकता पैदा की है, वनों का जो विनाश हुआ है, अपने स्वयं के विकास के लिए पूरे पहाड़ में विस्फोट कर-करके पूरे पहाड़ को जर्जर बना दिया है, आज उसका दुष्परिणाम हम देख सकते हैं। बार-बार एक ही समाचार हम लोगों को सुनने को मिलते हैं कि बादल फट रहे हैं, पहाड़ों में बादल फट रहे हैं। बादल फटने के साथ व्यापक स्तर पर वहां पर नदियों की जो भीषण बाढ़ आती है, पूरे के पूरे पहाड़ नीचे की तरफ धंस रहे हैं। पूरे के पूरे पहाड़ गाद लेकर चल रहे हैं। उन पहाड़ों से सटे हुए जितने नगर हैं, जितने कस्बे हैं, जिस त्रासदी के वे शिकार हो रहे हैं, वह हम सबकी चिन्ता का विषय होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपके माध्यम से कहा जलवायु बदलाव के कारण हैं, विकास की अवैज्ञानिक सोच तो है ही, वनों का विनाश है, नदी के प्राकृतिक रुख के प्रति किये जा रहे छेड़छाड़ को लेकर है, बड़े बांधों के कारण होने वाली विपरीत परिस्थितियाँ हैं, ये तमाम कारण हैं। जब हम बाढ़ और सूखे पर चर्चा कर रहे हैं तो इन पर हमको अवश्य चर्चा करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए कि बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान करने में नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना जिसकी परिकल्पना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, वह कितनी सहायक हो सकती है और उस दृष्टि से उतना पैसा कहाँ से और कैसे लगाया जाए। क्योंकि इस देश के अंदर माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बात को कहा भी है और बजट में भी इस बात का प्रस्ताव हुआ है कि इस देश के हर गाँव के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना प्रारंभ होगी तो यह महत्वाकांक्षी योजना किस प्रकार से सहायक हो सकती है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि आखिर हम कैसे इस पर अध्ययन कर सकते हैं।

महोदय, जिन विषयों के बारे में मैं यहाँ अभी बात रख रहा था कि हिमालय का यह जो रीजन है जो उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भूभाग में अपनी सदानीरा नदियों के माध्यम से शुद्ध मीठा जल उपलब्ध कराती हैं, पेयजल के लिए शुद्ध जल उपलब्ध कराती हैं, उन सबमें कितनी बड़ी भूमिका का निर्वाह इनके माध्यम से हो सकता है, इन पर भी इसके माध्यम से चर्चा करने की आवश्यकता है, वह हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। वर्तमान में देश का एक बड़ा भूभाग सूखे की चपेट में भी है। महोदय, सूखे की वर्तमान स्थिति क्या है, यदि हम इस पर देखें तो मुझे लगता है कि जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार लगभग 2 करोड़ 61 लाख हैक्टेयर खरीफ़ फसल की बुआई का क्षेत्रफल घटा है। यानी देश के अंदर हम देखते हैं कि धान है, दलहन है, या जो अन्य मोटा अनाज है, तिलहन है, इन सबका लगभग 1 हज़ार लाख टन हैक्टेयर भूभाग इन फसलों के लिए उपलब्ध होता है, लेकिन इनमें से एक चौथाई मानसून कमज़ोर होने या मानसून समय पर न आने के कारण घटा है। स्वाभाविक रूप से इसका असर खाद्यान्न पर पड़ेगा। अनुमान लगाया जाता है कि खाद्यान्न का उत्पादन देश के अंदर प्रतिवर्ष करीब 12 करोड़ टन होता है जिसमें 9 करोड़ टन धान होता है, उसमें 3 करोड़ टन की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। हम लोग अगर वर्षा की स्थिति देखें तो वह भी सामान्य से कहीं कम है। उत्तर भारत में लगभग 45 फीसदी कम बारिश का अनुमान अब तक का है और मुझे लगता है कि देश का लगभग 80 प्रतिशत भूभाग वर्तमान में अभी तक सूखे की चपेट में है। सरकार ने घोषणाएँ की हैं और सरकार के स्तर पर एक प्रयास हुआ है, राज्यों के साथ उन्होंने इस संबंध में बेहतर तालमेल बैठाने का प्रयास किया है लेकिन उस सबके बावजूद एक प्रश्न ज़रूर है कि जो राज्य सरकारें समय पर बीज और खाद सामान्य मानसून होने के बावजूद किसानों को उपलब्ध नहीं करा पाती हैं, क्या उन राज्य सरकारों से यह उम्मीद की जा सकती है कि वे कम समय में तैयार किये जाने वाले बीज को और जब किसान की खेती का समय निकल चुका है या निकलता जा रहा है तो उस कम समय में वे लोग किसानों के लिए वह बीज उपलब्ध करा पाएँगे?

यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि किसानों को इस प्रकार से अपनी खेती की उपज तैयार करनी चाहिए, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से वह संभव नहीं होता दिखाई नहीं दे रहा है। अंततः इस देश का किसान ही तबाह हो रहा है। सूखे की चपेट में वह आ रहा है। एक बड़ा भू-भाग है और इस विषय में अगर मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े मेरे सामने आए हैं कि वहां जो बारिश होती है, 201.7 मिलिमीटर की सामान्य बारिश होती थी, वह मात्र 160 मिलिमीटर हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 153-154 मिलिमीटर तक सामान्य बारिश की तुलना में मात्र 50 मिलिमीटर तक हुई है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड में मात्र 32 प्रतिशत बारिश अब तक हुई है। लक्षण यह दिखाई देते हैं कि अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25 प्रतिशत कम हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 65 प्रतिशत कम हुई है, बुंदेलखंड में भी लगभग 35 प्रतिशत कम हुई है, यह साबित करता है कि उस क्षेत्र का किसान किस स्थिति में जी रहा होगा। इस देश के अंदर जलाश्यों की जो स्थिति है, यह माना जाता है कि इस देश के अंदर जल भंडारण के लिए लगभग 85 बड़े-बड़े जलाश्य हैं। इन जलाश्यों में भी जल का स्तर पिछले वर्ष की तुलना में और एक दशक की तुलना में सबसे कम स्तर पर है। आज के दिन तक लगभग 3767 करोड़ घन मीटर पानी वर्तमान में इनके पास मौजूद है, जो इनकी क्षमता का मात्र 24 फीसदी है। यानी आज अगर बारिश या मानसून अभी भी नहीं आया, तो इन जलाश्यों की स्थिति और भी खराब हो सकती है। मुझे लगता है कि कुछ एजेंसियों ने इस मामले में सर्वे किया है और इस बारे में कहा है कि उत्तर-पश्चिम भारत में 80 फीसदी तक, मध्य भारत में 75 प्रतिशत और दक्षिण भारत में 50 प्रतिशत से कम मानसून रहेगा। यानी पूर्वोत्तर भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां मानसून सामान्य रहेगा। अन्य क्षेत्रों में कहीं पर 20 प्रतिशत है, कहीं 25 प्रतिशत है और कहीं 50 प्रतिशत है। ये लक्षण साबित करते हैं कि सूखा देश के बड़े भू-भाग को अपनी चपेट में ले चुका है और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, महोदय, अगर देश का किसान सुखी नहीं होगा, गांव की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तो मुझे लगता है कि देश के विकास का जो सपना हम देख रहे हैं, वह सपना मात्र सपना बनकर ही रह जाएगा, क्योंकि इस देश के अंदर जो हमारी जीडीपी है, उसमें आज भी हमारी कृषि का योगदान 14 फीसदी है। यद्यपि यह लगातार घटता जा रहा है, लेकिन दो तिहाई आबादी आज भी उसी पर निर्भर करती है। किसानों को कैसे हम समृद्ध कर सकें, उन्हें कैसे सुविधाएं दे सकें? हम सुखा और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को बचाने के लिए प्रभावी कार्यक्रम कैसे बना सकते हैं? इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। खास तौर से हम विश्वास करते हैं कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना बनेगी, वह इस देश की 60 प्रतिशत असिंचित भूमि को सिंचित करने में महत्वपूर्ण होगी।

महोदय, इस देश की विकास दर में कृषि की दर के कम होने के कई कारण हैं। उन कारणों में मुख्य रूप से यह है कि हम लोगों ने खेती के लिए कोई आधारभूत ढांचा तैयार नहीं किया है। आज भी जब हम गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पास परंपरागत खेती है। कोई नया बीज नहीं है, कोई नयी तकनीक नहीं है। हमारी जो तकनीकी ज्ञान है, वह केवल कुछ विश्वविद्यालयों और उन कुछ अनुसंधान केन्द्रों तक ही सीमित हो कर रह गया है जो इस देश के बड़े-बड़े शहरों और कस्बों तक सीमित है।

महोदय, इस आधारभूत ज्ञान के ढांचे को हमें कृषि की दृष्टि से विकसित करना होगा। भंडारण का अभाव है। मुझे लगता है कि आज भी जो लगभग 25 करोड़ टन खाद्यान्न प्रति वर्ष देश में पैदा होता है, उसमें से मात्र तीन करोड़ टन खाद्यान्न के भंडारण की व्यवस्था हमारे पास है, अन्य के लिए नहीं है।

महोदय, कृषि क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता का क्षेत्र बनना चाहिए। इसलिए सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से हम इस देश की 60 प्रतिशत आबादी को केवल मानसून पर निर्भर होने के लिए नहीं छोड़ सकते। उस दृष्टि से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह हम सब के लिए चिंता का विषय है।

महोदय, आज ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है और यह हम सब के लिए चिंता का विषय है क्योंकि इस से वर्षा का चक्र बदला है। वर्तमान में हमारे मौसम विज्ञानी एक बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा चक्र बदला है। मॉनसून एक महीना तो अभी ही लेट है। अगर यह ऐसे ही लेट रहा तो हम फसल का चक्र कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन और किसानों को इस प्रकार की सुविधा और सहूलियतें उपलब्ध कराने की व्यवस्था जब तक सरकार के स्तर पर नहीं होंगी, तब तक इस देश का किसान इसी प्रकार से आत्महत्या करता रहेगा जैसा वर्तमान में हुआ है। पिछले दस वर्षों में इस देश के अंदर पांच लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की हैं और इस प्रकार की स्थिति लगातार पैदा हो रही है।

महोदय, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र से आता हूं, वह नेपाल से आने वाली, हिमालय से आने वाली नदियों के बाढ़ की चपेट में प्रति वर्ष आता है। सरयू, रोहिणी, राप्ती, गंडक, नारायणी आदि तमाम नदियों के बाढ़ से यह क्षेत्र हमेशा पूरी तरह प्रभावित रहता है। व्यापक जन-धन की हानि होती है। आज़ादी के पहले से लगातार चर्चा चल रही थी और वर्ष 1954 में केन्द्रीय जल आयोग की तर्ज़ पर ही उस क्षेत्र में एक गंगा जल आयोग बना था।...(व्यवधान) उसमें तय हुआ था कि नेपाल के अंदर जलाशय नेपाल की सरकार की मदद से बना कर इस क्षेत्र की बाढ़ की समस्या का समाधान करने के साथ-साथ इस क्षेत्र में नेपाल के साथ मिलकर जल प्रबंधन किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से काली, करनाली, पंचेश्वर, कोसी, बागमती, राप्ती और घाघरा नदियों में भी तमाम जल विद्युत परियोजनाओं के साथ-साथ जब इस क्षेत्र में यहां पर लोगों को जल की आवश्यकता हो, उस समय वहां आवश्यक मात्रा में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इन योजनाओं को पूरा किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्ष 1954 में बनी हुई योजनाएं जो जलकुंडी योजनाओं के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ये आज तक प्रभावी नहीं हो पायी हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा।...(व्यवधान) जब हम यहां पर बाढ़ प्रबंधन और सूखा के बारे में चर्चा करने आए हैं तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा। यह योजना केवल

कृषि मंत्री ही नहीं, जल संसाधन मंत्री के साथ मिलकर पूरे देश के अंदर तैयार होनी चाहिए। नेपाल के साथ मिलकर, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बाढ़ की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। माननीय कृषि मंत्री तो बिहार राज्य से आते हैं। वे बिहार की बाढ़ से अच्छी तरह वाक़िफ हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से उन से और माननीय जल संसाधन मंत्री से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश

की योजनाओं पर ध्यान दें। पूर्वी उत्तर प्रदेश देश के अंदर सघन आबादी का एक क्षेत्र है। इसके साथ-साथ वहां बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली तमाम प्रकार की बीमारियों का समाधान आवश्यक है। इस दृष्टि से नेपाल के साथ बातचीत कर के इन समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाला जाना चाहिए। वहां की बाढ़ की समस्या के समाधान के साथ-साथ पूरे देश के अंदर बाढ़ और सूखे की समस्या के समाधान के लिए एक समग्र नीति बनाए जाने की आवश्यकता है।

HON. CHAIRPERSON : We will continue this Discussion tomorrow.